राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1100/2008/भरतपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
उड़नदस्ता–द्वितीय, राज0 जयपुर। .....अपीलार्थी

बनाम

मिहिर खान पुत्र श्री हिम्मत खान,
ग्राम–सामदीका, त0 पहाडी,
जिला भरतपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री एन.के.बैद,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी राजस्व की ओर से
प्रत्यर्थी बावजूद अखबार प्रकाशन सूचना के अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 10.01.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), प्रथम वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 311/आरएसटी/एनआरडी/2004–05 में पारित आदेश दिनांक 26.10.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता–द्वितीय, राजस्थान जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.12.2004 अन्तर्गत राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 78(8) के तहत आरोपित शास्ति 1,00,839/– को अपास्त किया।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 06.11.2004 को सशक्त अधिकारी द्वारा वाहन संख्या आरजे–14जी/8787 को चेक किया। वाहन में लदे परूचन माल से संबधित दस्तावेज वाहन चालक/माल प्रभारी से मांगे जाने पर वाहन चालक /माल प्रभारी द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गयें। इस प्रकार वाहन चालक/माल प्रभारी को बिना दस्तावेजों के कर चोरी की नियत से माल परिवहनित करने का दोषी मानते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा माल वाहन चालक/माल प्रभारी को धारा 78(8) के तहत् नोटिस दिया गया, व्यवसायी द्वारा नोटिस का जबाव प्रस्तुत कर आरोप स्वीकार किया गया। प्रस्तुत जवाब से सहमत होते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा बिना दस्तजावेजों के कर चोरी की नियत से परिवहनित किये जा रहे माल कीमतन रूपये 3,36,130/– पर धारा 78(8) के तहत् शास्ति रूपये 1,00,839/– आरोपित की गई। जिसे अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई।

3. अपीलार्थी विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने

लगातार.....2

का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी व्यवसायी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

5. राजस्व पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी पर माल मालिक से मिलीभगत करके बिना दस्तावेजों के कर चोरी की नियत से माल परिवहनित करने का दोषी मानते हुये धारा 78(8) के तहत शास्ति आरोपण की कार्यवाही की गई है। वाहन मालिक/माल मालिक द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर नियमानुसार देय कर शास्ति की अदायगी कर दी गई थी एवं जिसके बाबत् आदेश पारित सक्षम अधिकारी द्वारा मांग राशि डी.सी.आर में दर्ज कर दी गई थी। जमा की रसीद अपीलीय अधिकारी के समक्ष सुनवाई के समय अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत की गई है जो अपील पत्रावली पर मौजूद है। इस प्रकार जब धारा 78(5) के तहत् माल मालिक द्वारा अपराध स्वीकार करते हुये कर व शास्ति की अदायगी कर दी गई थी। सक्षम अधिकारी द्वारा वाहन चालक के विरुद्ध बिना विस्तृत जांच के मिलीभगत का दोषी मानते हुये धारा 78(8) के तहत शास्ति आरोपण अविधिक है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतया विधिसम्मत पाया जाता है।

6. अतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश 26.10.2007 की पुष्टि की जाती है।

7. निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष